न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 283/18

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
देयचंद पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी मोहरनगर तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)		01. भजनाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी मोहरनगर, भोजासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.) 02. श्रीमान् तहसीलदार, फलौदी

राजस्व वाद 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई।
2. प्रतिवादी अधिवक्ता सलीम खान मेहर ।

निर्णय **दिनांक :–** 29/08/2019

वादी ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते तामिल सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी की और से अधिवक्ता सलीम खान मेहर ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को वास्ते विभाजन प्रस्ताव तहरीर जारी की गई। दिनांक 07.08.2019 को तहसीलदार फलौदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल कर पत्रावली को वास्ते बहस रखा गया। पेशी दिनांक 21.08.2019 वादी एवं प्रतिवादी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए और उन्होने आपस में राजीनामा होने की बात कही और न्यायालय हाजा में राजीनामा पेश किया और कहा कि हम हमारे द्वारा पेश राजीनामा अनुसार विवादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा चाहते है न कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार।

प्रस्तुत राजीनामें का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के खेत ख.न. 592 रकबा 52.02 बीघा संयुक्त खातेदारी की बराबर बराबर 1/2 हिस्सा भूमि आई हुई है। जिसमें 26 बीधा 01 बिस्वा प्रत्येक को भूमि बंट में आती है। जिसका पक्षकारान राजीनामा के साथ नजरी नक्शा पेश है। नजरी नक्शा अनुसार पीला रंग नक्शा मार्क ए.बी.सी. डी.एफ.ई. की भूमि वादी के बंट में आती है व केसरिया रंग एच.ए.जी.ई.एफ.डी. की भूमि प्रतिवादी सं. 01 के बंट में आती रखी गई है। मार्क ई. से एफ.डी. प्रतिवादी सं. 01 के बंट में रखी गई भूमि की चौड़ाई 15 फिट होगी। उभय पक्षों के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिए गए व पहचानकर्ता के रूप में उभयपक्ष अधिवक्ता के हस्ताक्षर लिए गए।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner

पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामा व पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामें का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किए जाने के आदेश दिए जाते है।

–: आदेश :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम ग्राम मोहर नगर पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलौदी के खेत ख.न. 592 रकबा 52 बीघ 02 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार से खातेदारों के मध्य किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म
1.	वादी देयचंद पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी मोहरनगर तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)	592	26.01	बा– I
2.	प्रतिवादी भजनाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी मोहरनगर, भोजासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)	592	26.01	बा– I

तहसीलदार फलौदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2019....को सरे इजलास में सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner